



पत्रांक : कु0स0-2 B स0अ0 / 12584 / विधि आ0-38-2017 / 2017 दिनांक : 07 अक्टूबर, 2017

सेवा में,

प्रबंधक / प्राचार्य,  
समस्त विधि महाविद्यालय,  
सम्बद्ध-महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,  
वाराणसी।

विषय : भारतीय विधिज्ञ परिषद (Bar Council of India) द्वारा निर्धारित अद्यतन सीट सम्बन्धी पत्र उपलब्ध कराये जाने के संदर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपके महाविद्यालय में संचालित विधि तृवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु भारतीय विधिज्ञ परिषद (Bar Council of India) द्वारा अद्यतन सीट निर्धारण सम्बन्धी पत्र की सत्यापित प्रति, मानकानुसार विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षकों का अनुमोदन, नियुक्ति पत्र, संविदा पत्र एवं वेतन भुगतान व आधार कार्ड की सत्यापित प्रति सहित विवरण एक सप्ताह के अन्दर विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।

उक्त के आलोक में कृपया अपने महाविद्यालय हेतु भारतीय विधिज्ञ परिषद (Bar Council of India) द्वारा निर्धारित अद्यतन सीट से सम्बंधित अभिलेख सहित अन्य अभिलेख निर्धारित अवधि में अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2018-19 से नियमानुसार प्रवेश प्रतिबंधित किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रबंधन/प्रशासन की होगी।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. माननीय कुलपति जी को सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, भारतीय विधिज्ञ परिषद, 21 राउज एवेन्यू इन्स्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110002
3. सहायक कुलसचिव, परीक्षा को इस आशय से कि समस्त विधि महाविद्यालयों के सम्बन्ध में उपर्युक्त का अनुपालन सुनिश्चित होने पर ही सत्र 2017-18 की परीक्षा कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
4. प्रभारी, कम्प्यूटर सेण्टर को इस आशय से कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड कर दे।

कुलसचिव